UPSI010016372026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0) सीतापुर।

सत्र परीक्षण सं0–390/2026

सरकार बनाम आकाश कुमार उर्फ आकाश यादव

अ0सं0–87/2025

अन्तर्गत धारा 69,351(3) बी0एन0एस0

थाना–मिश्रिख जिला सीतापुर

दिनांक 13–05–2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। पूर्व नियत तिथि पर अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 7क1 पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त एंव वादिनी/पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 को सुना जा चुका है। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 7क1 के निस्तारण हेतु नियत है।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र 7क1 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में एक सोचे समझे षडयंत्र, द्वेष भावना एवं रंजिश के कारण अनुचित दबाव में फंसा दिया गया है। कथित मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा अपने पति व उसके परिवारिक सदस्यों के दबाव में कथित घटना के लगभग सात वर्ष बाद झूँठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर कानूनी राय मशविरा लेकर पंजीकृत करवायी गयी है। पीड़िता/वादिनी ने अपनी तहरीर, धारा–180 व 183 बी०एन०एस०एस० के बयानो तथा अपने मजीद बयानों में कथित घटना किस समय और किन स्थानों पर हुई स्पष्ट नहीं किया है। पीड़िता द्वारा सिखाने पढ़ाने से एक फर्जी घटना होटल सुखदेई सीतापुर की बताई गई है तथा प्रथम बार प्रार्थी/अभियुक्त के सम्पर्क में आने का स्थान ननिहाल जो अभियुक्त का गाँव है तथा बिसवॉ थाना क्षेत्र में आता है परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता व उसके पति तथा ससुरालीजनों के दबाव व राजनैतिक पहुँच के कारण विधि विरूद्ध तरीके से थाना मिश्रिख में पंजीकृत करवायी गयी है और मिश्रिख थाने में अच्छी पहुँच व पुलिस में दबाव के चलते मनमाने ढंग व विधि विरूद्ध विवेचना करवायी गयी और थाने की पुलिस व विवेचक को अपने प्रभाव में लेकर असत्य तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करवाया गया है जबकि विवेचना से अभियोजन कहानी का कोई भी स्पष्ट व स्वतन्त्र तथा मानने योग्य साक्ष्य नहीं है। कथित घटना को लेकर वादिनी/पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयान धारा 180 बी0एन0एस0एस0 तथा 183 बी०एन०एस०एस० व अपना मेडिकल कराने के समय डाक्टर को दिये गये बयानों में घोर विरोधाभाष है। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा अभियुक्त के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है। पीड़िता/वादिनी की उम्र लगभग 30 वर्ष है और उच्च शिक्षित है ऐसी दशा में उसको शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व बहकावे में आने की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है तथा अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आरोप विधि अनुसार तय किये जाने योग्य नहीं है। यदि पीड़िता का यह कथन मान भी लिया जावे तो जब अभियुक्त शादी करने से इन्कार किया तब उसने कोई भी शिकायत अथवा एफ0आई0आर0 नहीं करवायी। इसी क्रम में वादिनी/पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में उसके अंकित किये गये प्रश्न–उत्तर में प्रश्न सं0 6 के जवाब में वादिनी ने स्वयं कहा कि उसने वर्तमान पति रोहित के साथ शादी माता–पिता के दबाव व मजबूरी में की है। इस प्रकार शादी का झांसा

Digitally signed by Dinesh Kumar Nagar
Date: 2026.05.13 14:41:42 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court Sitapur

देने जैसा कोई भी आरोप तय किये जाने योग्य नहीं है। वादिनी मुकदमा/पीड़िता तथा उसके सहयोगियों द्वारा फर्जी घटना बनाने के क्रम में दिनांक 18–12–2023 को होटल सुखदेई सीतापुर बस अड्डे के सामने की बतायी परन्तु उस घटना को साबित करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला और न ही ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है जिसके आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध आरोप तय किया जा सके। कथित घटना के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा पीडिता/वादिनी से बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में प्रश्न सं0–10 में विवेचक को बताया कि उक्त घटना से सम्बन्धित प्रपत्र उसके पास नहीं हैं। इस प्रकार घटना पूर्णतया झूठी साबित होती है इस आधार पर भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप नहीं बनता है। होटल सुखदेई में कथित घटना दिनांक 18–12–2023 के अनुक्रम में वादिनी के बताने पर विवेचक द्वारा वादिनी व उसके पति की उपस्थित में होटल के एराइवेल रजिस्टर आदि का अवलोकन किया गया परन्तु अभियुक्त तथा वादिनी के होटल में होने की कोई पुष्टि नहीं हुई जो CD–3 में विवरण दिया गया है तथा दिनांक के भ्रम होने की मंशा से पूरे वर्ष 2023 के रजिस्टर का अवलोकन किया गया परन्तु कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिल सका इस प्रकार अभियोजन ही अपने कथन को दौरान विवेचना साक्ष्य नहीं दे पाया ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आरोप नहीं बनता है। होटल सुखदेई के मालिक व कर्मचारियों से भी पूँछ–ताछ एवं बयान विवेचक द्वारा लिये गये जो CD–3 में दर्ज हैं उनके बयानों से भी कथित घटना दिनॉक 18–12–2023 की पुष्टि नहीं हुई है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सन् 2017–2018 से लेकर 2023–2025 तक की वादिनी मुकदमा द्वारा कथित तथ्य अभियुक्त द्वारा फोन से बात करना ब्लैकमेल करना होटल पर बुलाये जाने को लेकर कथित अभियुक्त के फोन नम्बर व वादिनी ने स्वयं के नम्बर दिये गये जिनकी दौरान विवेचना विवेचक द्वारा काल डिटेल तथा CDR लगभग 100 पन्नों की निकलवायी गई परन्तु दिये गये नम्बरों से कोई वार्ता होना नहीं पाया गया जो CD–12 में सम्पूर्ण विवरण CDR सहित संलग्न है। वादिनी तथा उसके पति द्वारा फर्जी साक्ष्य तैयार करके कुछ फोटो पीड़िता के दिये गये जिसमें पीड़िता एक कुर्सी पर अपने ही किसी जगह में बैठ कर मोबाइल से सेल्फी व फोटो ली जा रही है जिसमें पीड़िता की फोटो देखकर ही लग रहा है वह फोटो कहीं और की है। जिसे होटल सुखदेई का होना बताया जा रहा है परन्तु इस फोटो से भी कथित घटना साबित नहीं होती जबकि पूर्व में वादिनी ने स्पष्ट किया था कि उसके पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नही है। पीड़िता ने अपने कथनों के क्रम में सीतापुर से लेकर लखनऊ मेडिकल कालेज तक के इलाज सम्बन्धी प्रपत्र विवेचक को दिये गये परन्तु किसी डाक्टर द्वारा कथित घटना को साबित नहीं किया और कहीं भी जॉच में ऐसा नहीं पाया गया कि कथित घटना के कारण पीड़िता/वादिनी गर्भधारण नहीं कर पा रही है जबकि दिनॉक 23–10–2024 को K.G.M.U. लखनऊ के पर्चे में U.S.G. रिपोर्ट के अनुसार कथित पीड़िता 16 सप्ताह 6 दिन के गर्भ से होना अंकित है। पीड़िता/वादिनी तथा उसके कथित साक्षीगणों द्वारा किये गये कथनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य दौरान विवेचना कथित घटना के सम्बन्ध में नहीं पाया गया और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है जिसके आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध होता हो प्रार्थी/अभियुक्त के भविष्य को नष्ट करने व समाज में उसकी प्रतिष्ठा को अनुचित तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया गया है, उसके विरूद्ध अभियोजन का कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं है विवेचक द्वारा अनुचित व विधि विरूद्ध तरीके से आरोप–पत्र प्रेषित किया गया जब कि प्रार्थी के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। वाद चलाये जाने से उसका भविष्य नष्ट होगा और पूर्णीय क्षति होगी जिसका भविष्य में पूर्ण किया जाना सम्भव न होगा न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित किया

जाना आवश्यक है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर उसे उपरोक्त वाद से उन्मोचित करने की याचना की गयी।

अभियुक्त की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गयीः—

1—2025 (132) ACC 664 Supreme Court BISWAJYOTI CHATTERJEE Vs STATE OF WEST BENGAL AND ANOTHER

2—2025(1) All. Cr.J. 350 Supreme Court MANISH YADAV Vs. STATE OF UTTAR PRADESH AND ANOTHER

3—CRIMINAL REVISION No. 566 OF 2025 Rakesh Rathore Vs State of U.P. Thru Addl. Chief Secy. Home/Prin Secy. Home Lki and another

वादिनी/पीड़िता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सापेक्ष आपत्ति 8क प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त वाद में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है जो निराधार भ्रामक व विधि विरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि पीड़िता बालिग एवं शिक्षित है और उसने अपनी इच्छा से संबंध स्थापित किए। यह तर्क इस स्तर पर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह एक विवादित तथ्य है। यदि सहमति मिथ्या वादे, धोखे या दबाव के आधार पर प्राप्त की गई हो, तो वह विधि में मान्य सहमति नहीं मानी जाती। वर्तमान प्रकरण में पीड़िता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इस बात का कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को अपनी बातों में बहलाकर प्यार और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये साथ ही चोरी से इस घटना का वीडियो बना लिया, पीड़िता द्वारा उपरोक्त बात का समर्थन अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में भी स्पष्ट रूप से किया गया है, जो प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करता है। पीड़िता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त फोटो वीडियो के नाम पर पीड़िता को ब्लैकमेल करता व पीड़िता की सगाई के बाद 18 दिसम्बर 2023 को फोटो वीडियो डिलीट करने के बहाने सुखदेई होटल रोडवेज बस स्टॉप के सामने बुलाकर दुष्कर्म किया, जिस बात का समर्थन पीड़िता द्वारा अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में भी स्पष्ट रूप से किया गया है। अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में यह प्रमुख तर्क लिया है कि पीड़िता द्वारा की गई शिकायत में अत्यधिक विलम्ब है, जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। यह तर्क वास्तविक परिस्थितियों को नजर अंदाज करता है। अभिलेख से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाए गए और उन्हीं के माध्यम से उसे लगातार ब्लैकमेल एवं धमकी दी जाती रही। ऐसी स्थिति में पीड़िता का तत्काल पुलिस के पास न जाना एक स्वाभाविक मानवीय व्यवहार है। अभियुक्त ने यह भी कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में विरोधाभास है। यह तर्क भी भ्रामक है, क्योंकि दोनों कथनों का मूल स्वरूप समान है—अभियुक्त द्वारा विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित करना, चोरी से अश्लील फोटो व वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करना, धमकी देना व दुष्कर्म करना है और कथनों में यदि कोई सूक्ष्म अंतर है भी, तो वह स्वाभाविक है और मानव स्मृति तथा परिस्थितियों के अनुसार होता है। विधि यह मानती है कि ऐसे कथित विरोधाभास केवल परीक्षण के दौरान ही मूल्यांकित किए जा सकते हैं और इन्हें इस प्रारंभिक अवस्था में उन्मोचन का आधार नहीं बनाया जा सकता। अभियुक्त द्वारा होटल में हुई घटना को असत्य बताने का प्रयास किया गया है तथा यह कहा गया है कि उसका कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह तर्क भी विधिक रूप से अस्वीकार्य है। पीड़िता ने अपने धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में स्पष्ट रूप से इस घटना का पूर्णतयः समर्थन किया है कि उसे धमका कर होटल बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई। इस स्तर

पर यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक तथ्य का दस्तावेजी या स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध हो यदि पीड़िता का कथन सुसंगत एवं स्वाभाविक है, तो वह अपने आप में आरोप गठन हेतु पर्याप्त है। अभियुक्त ने यह भी तर्क दिया है कि कोई चिकित्सीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह तर्क भी इस स्तर पर कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि कथित घटनाएँ एक निरंतर अवधि में हुई हैं और प्रत्येक घटना के लिए तत्काल चिकित्सीय परीक्षण संभव नहीं होता है। पीड़िता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहुत सारी गलत दवाये लाकर खिलाई गयी जिससे उसके प्रजनन अंग एवं शारीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिस बात का समर्थन पीड़िता द्वारा अपने 183 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में भी स्पष्ट रूप से किया गया है व दौरान विवेचना पीड़िता द्वारा अपने मेडिकल प्रपत्र भी विवेचक को प्रदान किये गए है जो शामिल पत्रावली है। ऐसे तथ्यों का परीक्षण साक्ष्य के आधार पर विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR होटल रजिस्टर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति को आधार बनाकर यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन का मामला कमजोर है। यह तर्क भी विधि के अनुरूप नहीं है। यह स्थापित सिद्धांत है कि जांच में किसी प्रकार की कमी या अपूर्णता का लाभ सीधे अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता, विशेषकर तब जब पीड़िता का प्रत्यक्ष एवं सुसंगत कथन उपलब्ध हो। डिजिटल साक्ष्य का अभाव एक जांच संबंधी विषय हो सकता है, किन्तु यह अपने स्वयं में अपराध के अस्तित्व को नकारने का आधार नहीं बनता। पीड़िता एक शिक्षित महिला है जो अपनी पढ़ाई के दौरान सीतापुर आती जाती थी, जहाँ अभियुक्त ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और लगातार फोन व व्हाट्सएप के (स्टॉकिंग) माध्यम से उसे परेशान करता रहा। अभियुक्त ने उसकी निजी तस्वीरों का दुरुपयोग कर उसे ब्लैकमेल किया और मिलने के लिए दबाव बनाया। लगातार धमकी और मानसिक उत्पीड़न के कारण पीड़िता को अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी, जिससे उसका शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत जीवन खराब हो गया। अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाए गए सभी तर्क या तो तथ्यात्मक विवाद हैं या साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित हैं, जिनका परीक्षण केवल विचारण के दौरान ही किया जा सकता है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है जिससे प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध बी0एन0एस0एस0 व आई०टी०एक्ट की सुसंगत धाराओ में आरोप बनाया जाना न्यायसंगत है। यह प्रकरण मात्र तथ्यों के साधारण विवाद का नहीं, बल्कि एक ऐसे अपराध का है जिसमें छल, दबाव और डिजिटल माध्यम से शोषण व दुष्कर्म के गंभीर तत्व सम्मिलित है अभियुक्त द्वारा उठाए गए आधार जैसे कथित विरोधाभास, साक्ष्यों का अभाव अथवा विलम्ब वास्तव में ऐसे बिंदु हैं जिनका परीक्षण साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन के पश्चात ही किया जा सकता है, जिसका परिसीलन इस प्रारंभिक स्तर पर किया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त कर अभियुक्त के विरूद्ध बी0एन0एस0एस0 व आई0टी0एक्ट की सुसंगत धाराओं में आरोप बनाये जाने की याचना की गयी।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया एवं माननीय उच्चतम व उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी/पीड़िता द्वारा इस आशय की पंजीकृत करायी गयी है कि प्रार्थिनी के ननिहाल वाले मकान के सामने आकाश यादव का मकान है एवं घर से आना जाना रहता है। उसकी आकाश यादव से वर्ष 2017 में मामा की लड़की सुधा यादव की शादी समारोह में जान पहॅचान हुयी। उक्त व्यक्ति ने 2018 में छाती पर उसके नाम का टैटू गुदवाकर अपनी बातो से बहला कर प्यार और शादी का झॉसादेकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये साथ ही चोरी से इस घटना का वीडियो

बना लिया। इस घटना के बाद जब भी वह विदेश से वापस आता तो वह फोटो वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करके गलत हरकते करता एवं खुद के मेडिकल स्टोर से बहुत सारी गलत दवाएँ लाकर खिलायी जिससे उसके प्रजनन अंग एवं शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उक्त व्यक्ति बहुत चालाक है कि वह सदैव किसी विदेशी/अलग नम्बर से व्हाटसऐप काल पर धमकी/ब्लैकमेल करता है। उसकी सगाई के बाद 18 दिसम्बर 2023 को फोटो वीडियो डिलीट करने के बहाने सुखदेई होटल रोडवेज बस स्टाप के सामने बुलाकर दुष्कर्म किया। यह व्यक्ति लगातार 2018 से लेकर शादी के बाद भी उसे डराकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। अभी दिसम्बर 2024 में 177712386618 नम्बर से व्हाटसएप काल से सम्बन्ध बनाने की धमकी दी अन्यथा यह उसके पति को जान से मरवा देगा जिसकी रिकार्डिग उसके पास है। इसका एक अन्य नम्बर यह 9198692981 भी है।

इसी क्रम में मेरे द्वारा पीड़िता/वादिनी के धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के बयान का भी अवलोकन किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा संक्षिप्ततः अभियुक्त से अपनी मामा की लड़की की शादी में मिलने व वर्ष 2018 में अभियुक्त द्वारा अपनी छाती पर उसका नाम गुदवाकर अपनी बातो से बहलाकर प्यार और शादी का झासा देकर चोरी से घटना का वीडियो बनाकर लगातार उसे ब्लैकमेल करक गलत हरकते करने एवं अपने खुद के मेडिकल स्टोर से बहुत सारी गलत दवाई लाकर उसे खिलाने से उसके प्रजनन अंग एवं शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने तथा उसकी सगाई के बाद 18 दिसम्बर 2023 को फोटो वीडियो डिलीट करने के बहाने सुखदेई होटल रोडवेज बस स्टाप सीतापुर के सामने उसे बुलाकर दुष्कर्म करने एवं वर्ष 2018 से लेकर शादी के बाद भी डराकर उसका शोषण करने का कथन किया गया है।

इसी क्रम में मेरे द्वारा पीड़िता के धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान का भी अवलोकन किया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा संक्षिप्ततः अभियुक्त से अपनी मामा की लड़की की शादी में वर्ष 2017 में मिलने व वर्ष 2018 तक उससे बातचीत करे शादी का झांसा देने व चोरी से उसके कुछ वीडियो व फोटो खींच कर उसे मिलने आने के लिए ब्लैकमेल करने तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाने के बाद उसे गर्भवती होने के डर से बहुत सी अजीब तरह की दवाइयॉ अपने मेडिकल स्टोर से लाकर खिलाने से उसकी तबीयत बहुत खराब रहने एवं उसकी सगाई दिनांक 10–12–2023 को होने के बाद अभियुक्त द्वारा उसे 18–12–23 को सुखदेई होटल में वीडियो व फोटो डिलीट करने के बहाने बुलाने एवं मार पीट कर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करने का कथन किया गया है।

केसडायरी के अवलोकन से यह भी विदित है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा होटल सुखदेयी के एराईवल रजिस्टर का अवलोकन करने पर दिनांक 18–12–2023 को एवं पूरे वर्ष वादिनी व अभियुक्त को उक्त होटल में आने की पुष्टि न होने एवं होटल स्वामी के बयान के आधार पर सुखदेई होटल वाली घटना के सम्बन्ध में साक्ष्य न पाये जाने पर बाद विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–69, 351(3) बी0एन0एस0 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था 1–2025 (132) ACC 664 Supreme Court BISWAJYOTI CHATTERJEE Vs STATE OF WEST BENGAL AND ANOTHER 2–2025(1) AII. Cr.J. 350 Supreme Court MANISH YADAV Vs. STATE OF UTTAR PRADESH AND ANOTHER व माननीय उच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था 3–CRIMINAL REVISION No. 566 OF 2025 Rakesh Rathore Vs State of U.P. Thru Addl. Chief Secy. Home/Prin Secy. Home Lki and another उक्त वाद के तथ्यों

पर लागू नहीं होती है। उपरोक्त समस्त विवेचना से अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ आकाश यादव के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था P. Vijayan Vs State of Kerala AIR 2010 Supreme Court 663 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि at the time of framing of charges the probative value of the material on record cannot be gone into and the material brought on record by the prosecution has to be accepted as true. तथा M.E. Shivlinga Murti Vs. CBI 2020 (2) SCC 768 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि that at the stage of framing of charges, submission of accused is to be confined to material produced by police. एवं State of NCT Delhi vs. Shiv Charan Bansal 2019(4)Crimes 298 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि court is required to evaluate material and document on record with a view to point out if facts emerging therefrom taken at their face value disclose ingredients constituting alleged offence. At this stage, there cannot be roving inquiry into pros and cons of matter and evidence is not to be weighted as if trial is being conducted.

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण एवं आरोप के स्तर पर साक्ष्य की कसौटी के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के आलोक में अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ आकाश यादव के विरूद्ध उपरोक्त वाद में विवेचना के दौरान उपलब्ध कराये गये तथ्यों एवं साक्ष्य से अपराध अन्तर्गत धारा–69, 351(3) बी0एन0एस0 का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। इसलिए अभियुक्त को उपरोक्त आरोपों से उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र 7क निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ आकाश यादव के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 7क वास्ते उन्मोचन निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति 8क निस्तारित की जाती है।

अभियुक्त आकाश कुमार उर्फ आकाश यादव के विरूद्ध धारा 69, 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक–23–05–2026 को पेश हो।

दिनांक 13–05–2026

(दिनेश कुमार नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0)
सीतापुर
JO CODE UP2760